UPSI010014092026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश,सीतापुर।**

**जमानत प्रार्थना पत्र सं0–296 / 2026**

**C.I.S. No.649/2026**

रणधीर उर्फ श्यामल उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद निवासी ग्राम फत्तेपुर मातिनपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर । आवेदक / अभियुक्त।

बनाम्

उ0प्र0राज्य। अभियोजक।

मु0अ0सं0–301 / 2025
धारा–190,191(2),191(3),103(1),3(5) बी.एन.एस.
थाना–इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर।

**निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र**

यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त रणधीर उर्फ श्यामल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 301 / 2025, अंतर्गत धारा 190, 191(2), 191(3),103(1),3(5) बी.एन.एस. पुलिस थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सीतापुर में निरूद्व है।

जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता अर्जुन कुमार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच लखनऊ में कोई जमानत प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और न ही निरस्त हुआ है न ही विचाराधीन है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटनाक्रम के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि घटना दिनांक 26.12.2025 के समय 7 बजे शाम की है। उसके ससुर छोटे उर्फ अख्तर खां व साले मैसर खां पुत्र अख्तर खां सीतापुर एस०डी०एम० के यहां से जमानत कराकर अपने घर फत्तेपुर मातिनपुर जा रहे थे। कि जैसे ही फत्तेपुर के पंचायत भवन के पहले पहुंचें तो रोड के आस–पास झाडियो मे से विपक्षी अजय पाल नंगा उर्फ नागेश, टामू, विकटू/ श्यामल व शिवपूजन, कामता प्रसाद अचानक झाडियो से निकलकर आ गये तथा फायर करने लगे जिससे उसके ससुर अख्तर खां व साले मैसर खां वही रोड पर गिर गये तथा उठकर भागे तो शिवपूजन ने दौड़ाकर मैसर खां को गिराकर बांके से वार करके ताबड तोड वार करते हुये मार डाला तथा अख्तर को टामू पुत्र ठाकुर प्रसाद ने गिराकर बांके से वार करके मार डाला तथा विकटू,कामता, नंगा, अजयपाल ने उसके ससुर व साले को घेरकर गिराया था। उक्त घटना उसके साले मैसर खां के लडके असहद खां व असहद खां की मां एवं मैसर की पत्नी, जो कि साथ मे ही मोटर साइकिल से आटो के पीछे चल रहे थे, ने अपनी आंखो से मोटर साइकिल की रोशनी मे सारी घटना देखी है। अख्तर व मैसर खां आटो रिक्शा से आगे चल रहे थे उक्त घटना पुरानी रंजीश के कारण घात लगाकर अंजाम दी गयी है। उक्त घटना को शोर व फायर की आवाज सुनकर अख्तर



Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.03.12 17:54:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Stp

के छोटे भाई अफसर भी मौके पर पहुंच गये क्योकि एस०डी०एम० कोर्ट में जमानत के लिए वह भी गये थे। खबर पाकर वह तत्काल मौके पर पहुच गया। तब सारा वाक्या चश्मदीद असद व उसकी मां ने बताया वह सभी बहुत डरे हुये थे। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बंधित थाने में पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त वाद में झूंठा व रंजिशन गांव की राजनैतिक पार्टीबन्दी के कारण फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मशविरा के आधार पर काफी विलम्ब से लिखायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी विरोधाभास है, जिससे घटना संदेहप्रद प्रतीत होती है। आवेदक/अभियुक्त को वादी द्वारा स्वयं को मारते हुए नहीं देखा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सन्देह के आधार पर अंकित करा करके अभियुक्त को आरोपित किया है, जो असत्य और निराधार है, क्योंकि मृतका की काफी लोगों से रंजिश चली आ रही थी। मृतक छोटे खां व मैसर खां आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे जो आये दिन किसी न किसी से लड़ाई करते रहते थे तथा क्षेत्र में मृतकों का भय व आतंक व्याप्त था।आवेदक/अभियुक्त के पास से थाना इमलिया सुल्तानपुर की पुलिस द्वारा एक डण्डा बरामद होना बताया गया है। फर्द बरामदगी में कोई भी जन साक्षी नहीं है जिससे फर्द बरामदगी संदेहाप्रद है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी चश्मदीद साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (कि0) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैनें आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण अपने गॉव के ही मैसर खॉ व अख्तर खॉ की घात लगाकर निर्मम तरीके से गोली मारकर व बॉका व डण्डा से चेहरे पर वार करके हत्या किये जाने तथा कथित घटना को मृतक मैसर खान के पुत्र असहद खॉ व पत्नी मलिका को अपनी ऑखो से देखे जाने का आरोप है। पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा मृतक **मैसर खान** को आयी चोटो के सम्बंध में **Injury No.1** CRUSHED INJURY PRESENT ON WHOLE HEAD AND FACE UNDER LYING ALL SKULL AND FACIAL BONES FRACTURED IN MULTIPLE PEICES SUM PEICES ON BONE MISSING BOTH EYE LACERATED, BRAIN AND MEMBRAIN LACERATED, BRAIN MATEREAL COMING OUT. **Injury No.2** FIREARM WOUND OF ENTRY 1.5CM X 1.5CM X ABDOMEN CAVITY DEP PRESENT ON UPPER PART OF RIGHT SIDE ABDOMEN JUST MEDIAL TO RIGHT AT MID LYING 9.0CM BELOW ZIPHI-STERNUM NOTCH. BALCKNING PRESENT AROUND THE WOUND. MARGINS ARE INVERTED AND IRREGULAR. **Injury No.3** FIREARM WOUND OF EXIT 2.0CM X 2.0CM X CHEST CAVITY DEEP PRESENT 3 ON LATERAL ASPECT OF LEFT SIDE CHEST 16.0CM BELOW LEFT AXILA. MARGINS ARE IVERTED IN IRREGULAR. **Injury No.4** FIREARM WOUND OF ENTRY 3.0CM X 3.0CM X BONEDEEP PRESENT ON DORSAL ASPECT OF RIGHT HAND 4.0CM BELOW RIGHT WRIST JOINT, UNDER LYING BONES FRACTURED. MARGINS ARE INVERTED AND IRREGULAR. **Injury No.5** FIREARM WOUND OF EXIT 1.0CM X 1.0CM PRESENT ON DORSAL ASPECT OF BASE OF RIGHT THUMB, MARGINS ARE IVERTED AND IRREGULAR. ON PROBING INJURY NO 2 AND 3 CORELETED EACH

OTEHR AND INJURY NO 3 AND 4, CORELETED EACH OTHER. अंकित किया गया है एवं मृत्यु का कारण SHOCK AND HEMORRHAGE होने का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा **मृतक अख्तर खान** को आयी चोटो के सम्बंध में **Injury No.1**, CRUSHED INJURY PRESENT ON WHOLE HEAD AND FACE UNDER LYING ALL SKULL AND FACIAL BONES FRACTURED IN MULTIPLE PEICES SUM PEICES ON BONE COMING OUT. MISSING BOTH EYE LACERATED, BRAIN AND MEMBRAIN LACERATED, BRAIN MATEREAL COMING OUT.**Injury No.2**, FIREARM WOUND OF ENTRY 2.0CM X 2.0CM X CHEST CAVITY DEEP PRESENT ON RIGHT SIDE UPPER PART OF CHEST 10.0CM BELOW TIP OF RIGHT SHOULDER JOINT.UNDER LYING 3rd TO 5th RIBS FRACTURED, BLACKNING PRESENT AROUND THE WOUND, MARGINS OF INVERTED AND IRREGULAR. **Injury No.3**. FIREARM WOUND OF EXIT 3.0CM X 2 50CM X CHEST CAVITY DEEP PRESENT ON LATERAL ASPECT OF LEFT SIDE CHEST 4.0CM LATERAL TO LEFT NIPPLE. UNDER LYING 4rth TO 6th RIBS FRACTURED, MARGINS ARE IVERTED AND IRREGULAR.**Injury No.4**, INCISED WOUND 5.0CM X 1.50CM X MUSCAL DEEP PRESENT ON RIGHT FOREARM 3.5CM ABOVE RIGHT WRIST JOINT.**Injury No.5**, INCISED WOUND 4.5CM X 1.5CM X MUSCAL DEEP PRESENT ON BACK OF RIGHT SHOULDER JOINT 4.0CM BELOW TIP OF RIGHT SHOULDER JOINT.**Injury No.6**, MULTIPLE ABRADED CONTUSION PRESENT ON BACK OF CHEST. अंकित किया गया है एवं मृत्यु का कारण SHOCK AND HEMORRHAGE होने का उल्लेख है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। विवेचक द्वारा कथित हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल सह अभियुक्तगण के पास से बरामद किये जाने का उल्लेख फर्द बरामदगी में किया गया है। मामले के तथ्यो, परिस्थितियो, तथा अभियोजन प्रपत्रो के सम्यक् परिशीलन करने से प्रश्नगत मामला अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का पाया जाता है। अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का संतोषप्रद एवं पर्याप्त आधार नही है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त रणधीर उर्फ श्यामल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 301/2025, अंतर्गत धारा 190, 191(2),191(3),103(1),3(5) बी.एन.एस. पुलिस थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

**दिनांक : 12.03.2026**

**(आशीष जैन)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**सीतापुर।**
**J.O.Code-UP -2024**

अजीत.